बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक :— 2/अ0प्र0—4—01/2019 871 (अनु) पटना, दिनांक :— 27.4.2020

प्रेषक,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पिउन बुक

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
सभी मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषय :— सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही का कालवद्ध निष्पादन के संबंध में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या—217 दिनांक 28.02.2007 द्वारा विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित है, किन्तु विभाग के समक्ष ऐसा दृष्टांत आते है कि उक्त निर्धारित समय—सीमा का अनुपालन नहीं किया जाता है। फलस्वरूप सम्बन्धित मामले में निर्णय लेने में आवश्यक विलम्ब होता है। इसके चलते जहॉ विभाग को न्यायिक वाद का सामना पड़ता है साथ ही विभाग का पक्ष माननीय न्यायालय/माननीय लोकायुक्त के समक्ष रखने में असुविधा होती है।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद संख्या—1/लोक(ग्रा0का0वि0)02/2018 मामले में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा विलम्ब के लिए अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र संख्या—2178 दिनांक 28.02.2007 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि विषयांकित मामले में निर्धारित समय सीमा का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

अनुलग्नकः— यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)
सचिव

पत्र संख्या–2/क्यू० (वि० स०)–4010/2006 का०–2176

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

भगलु रजक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागीय जाँच आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना–15, दिनांक 28 फरवरी, 2007

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रायः ऐसा पाया गया है कि गबन/भ्रष्टाचार/बेईमानी आदि से संबंधित मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत इन मामलों के निष्पादन हेतु समय–सीमा को भी निर्धारित किया जा चुका है। परन्तु, उनका अनुपालन नहीं हो पाता है। अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाहियों के समय पर पूरा नहीं होने से संबंधित सरकारी सेवक के साथ न्याय होने में विलम्ब होता है। फलस्वरूप न्यायालय में वाद भी दायर होते हैं।

2. अतः पूर्व में इस विषय पर निर्गत परिपत्र/परिपत्रों को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित रूप से पुनरीक्षित समय–सीमा का निर्धारण किया जाता है :–

विभिन्न चरण	समय–सीमा
(1) परिवाद/लांछन की प्राप्ति के पश्चात लांछन की सचाई की जाँच हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई/स्पष्टीकरण/समुचित निर्णय आदि।	एक माह
(2) यदि अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) का गठन।	एक माह
(3) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय/आरोप–पत्र साक्ष्य सहित आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा	दो माह

अपना लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।

(4) उक्त नियमावली के नियम–17 के अनुसार कार्रवाई सम्पन्न करने की अवधि — छः माह

(5) उक्त नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्रवाई। — दो माह

कुल – 12 माह (एक वर्ष)

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त पुनर्निर्धारित समय–सीमा से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कार्यालयों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

विश्वासभाजन
भगलु रजक
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या ओ० एम०/75/536

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग
(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

...nst th
ic servan
l, it shal

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
(सचिवालय से संलग्न)

:ayukt
TV) o

पटना, दिनांक 14 अगस्त, us th
the

विषय :– साप्ताहिक बुधवारी बकाया सूची।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रशासन–तंत्र में चुस्ती लाने एवं सभी संचिकाओं एवं मामलों का शीघ्रता से निष्पादन करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को सम्बोधित अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 1438 मु० मं० स० दिनांक 11 जुलाई 1975 में यह आदेश परिचारित किया गया है कि जटिल मामलों को छोड़कर सामान्यतः आगत कागज–पत्रों/संचिकाओं के निष्पादन में किसी भी स्तर पर तीन दिन से अधिक का विलम्ब न हो, इसके लिये प्रयास होना चाहिये। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पदाधिकारियों एवं सहायकों के लिए सचिवालय अनुदेश के नियम 5 : 2 में विहित बुधवारी बकाया सूची के प्रपत्र में यथानुसार संशोधन किया गया है। विभागों के सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संशोधित प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ अनुलग्न की जाती हैं। प्रत्येक मास की प्रथम बुधवारी बकाया सूची के संबंध में इस प्रशाखा के परिपत्र संख्या ओ०एम०/आर–1042/72–200 दिनांक 11.5.72 के अनुदेशों का यथावत अनुपालन किया जायेगा, किन्तु इसके लिये इन्हीं संशोधित प्रपत्रों का प्रयोग किया जायेगा।

विश्वासभाजन
सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव